न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 62/2025

बउनवान

सरकार जर्ये रविन्द्र मील, प्रवर्तन निरीक्षक, (बारां) (प्रार्थी)

बनाम

श्री रामनारायण पुत्र श्री छोटे लाल, निवासी विश्वकर्मा चौराहा केलवाड़ा जिला बारां

(अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(ए) के तहत

उपस्थिति :– 1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

2. महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 13.10.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.03.2025 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढते व्यावसायिक दुरूपयोग की शिकायत के कम में प्रार्थी हमराह श्री रविन्द्र कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, जगदम्बा रेस्टोरेंट केलवाड़ा पर पहुंचे मौके पर श्री रामनारायण पुत्र श्री छोटे लाल, निवासी विश्वकर्मा चौराहा केलवाड़ा उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जाना पाया गया। इसलिये द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन पाये जाने पर दो घरेलू गैस सिलेण्डर मौके पर जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स समरानियां इण्डेन ग्रामीण वितरक समरानियां की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया।

इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ तथा अप्रार्थी अभिभाषक ने जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी के परिवाद में दर्ज तथ्यात्मक विवरण अस्वीकार है, कथित घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग का आरोपण अस्वीकार है। मौके पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जांच नियमानुसार नहीं है। आक्षेप प्रथम दृष्टया ही प्रमाणित नहीं है। न्यायालय श्रीमान आरोप प्रमाणित पावें तो प्रार्थी दण्ड राशि जाम कराने को तैयार है। अतः उक्त कार्यवाही को निरस्त करने की कृपा करें।

हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार रसद एवं उपस्थित अप्रार्थी अभिभाषक की सुनी।

दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा दो गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.11.17 10:22:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

(रविन्द्र मील)

बहस के दौरान अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के परिवाद में दर्ज तथ्यात्मक विवरण अस्वीकार है, कथित घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग का आरोपण अस्वीकार है। मौके पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जांच नियमानुसार नहीं है। आरोप प्रथम दृष्टया ही प्रमाणित नहीं है। न्यायालय श्रीमान आरोप प्रमाणित पावें तो प्रार्थी दण्ड राशि जाम कराने को तैयार है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही निरस्त करने की कृपा करें।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब इस्तगासा का खंडन किया है परंतु अपने जवाब के समर्थन में कोई ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग नही किया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते है कि जप्तशुदा INDANE गैस सिलेण्डर नम्बर(1) 195225P, INDANE गैस सिलेण्डर नम्बर(2) 373658T, का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डर की सिक्योरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/– रूपये यानि 2 गैस सिलेण्डर की कुल 5000/– रूपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को वापस लौटाया जावे। यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नही लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को संचालक मैसर्स समरानियां इण्डेन ग्रामीण वितरक समरानियां को कीमत पर दिया जावे तथा उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर,बारां
जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.11.17 10:22:48 IST
Reason: SelfAttested